16.05.2023

आदेश

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट केम्प भुरटिया में पेश हुई। प्रार्थी के वकील उपस्थित। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल श्रेणी में प्राप्त हुए है आज बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध ईकरतफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा राउओं की ढाणी पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा

संख्या 540 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 948/536 रकबा 11.6145 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/543 रकबा 9.2268 हैक्टेयर, खसरा संख्या 955/546 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल रकबा 21.9824 हैक्टेयर भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है।

वकील प्रार्थी को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। मजमे आम में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबन्दी के सम्बन्ध में पूछा गया, किसी ने कोई आपति प्रस्तुत नही की। प्रार्थी की पहचान पटवारी हल्का भुरटिया ने दी। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा सउओं की ढाणी पटवार क्षेत्र भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 539 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 540 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा संख्या 948/536 रकबा 11.6145 हैक्टेयर, खसरा संख्या 953/543 रकबा 9.2268 हैक्टेयर, खसरा संख्या 955/546 रकबा 1.0117 हैक्टेयर कुल रकबा 21.9824 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल-सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
बाडमेर